न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

विद्युत वाद संख्या : 216 सन् 2016

राज्य बनाम मनोज राम।

मु.अ.सं. : 156 सन् 2016

धारा : 138(बी) विद्युत अधिनियम

थाना : मुगलसराय जनपद : चन्दौली।

आरोप

मैं, विनय कुमार सिंह–III, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली आप अभियुक्त मनोज राम को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ :–

यह कि किसी तिथि को किसी समय स्थान वार्ड नं. 11 सुभाष नगर सैयदराजा, थाना कोतवाली सैयदराजा, जनपद चन्दौली में आप उपभोक्ता संजय केशरी के कनेक्शन का बकाया होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया। पुनः दिनाँक 08.04.2016 को समय लगभग 02.45 बजे, अवर अभियन्ता मो. हैदर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव एवं अपनी टीम के साथ चेक करने पर पाया गया कि आपके द्वारा उक्त संयोजन के बकाया विद्युत बिल को बिना जमा किये व बिना विभागीय अनुमति के जोड़कर उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त विरचित आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक : 03.01.2023,

(विनय कुमार सिंह–III)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुनकर दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण की मांग की।

दिनाँक : 03.01.2023,

(विनय कुमार सिंह–III)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।